राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 784/2019

भोपाल सिंह उर्फ पप्पू सिंह पुत्र हिम्मत सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी सुजानपुरा, थाना पिपलिया मंडी, तहसील मल्लारगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.)

----अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से

----प्रतिवादी

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री बी.आर. बिश्नोई

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री अनीस भुरत, पीपी

माननीय श्री न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार

आदेश

07/08/2024

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने सत्र प्रकरण संख्या 14/2018 में पारित दिनांक 20.02.2019 के आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत ट्रायल जज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 8/18 सहपठित 8/29 एनडीपीएस अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे। घटना की एफआईआर संख्या 20/2018 शिव पुलिस स्टेशन, बाड़मेर में दर्ज की गई थी।

3. एफआईआर में कालू राम और ओमा राम के कब्जे से मादक पदार्थ बरामद होने का आरोप है। कालू राम ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस के समक्ष बयान दिया कि उसने जब्त अफीम का दूध मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी के सुजानपुरा गांव के पप्पू राम से खरीदा था। कालू राम ने आगे कहा कि वह वो स्थान दिखा सकता है जहां से उसने इसे खरीदा था। इसके बाद पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए कुछ नहीं किया, सुजानपुरा गांव के किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई जिससे यह साबित हो सके कि आरोपी पप्पू सिंह पुत्र गट्टू सिंह वही व्यक्ति है जिसे भोपाल सिंह पुत्र हिम्मत सिंह के नाम से

जाना जाता है। याचिकाकर्ता का दावा है कि वह भोपाल सिंह पुत्र हिम्मत सिंह है। अपने दावे के समर्थन में याचिकाकर्ता ने अपना आधार कार्ड, भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, जिसमें भोपाल सिंह को अपने निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता दिखाया गया है, तथा उस विद्यालय के प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जहां याचिकाकर्ता ने अध्ययन किया था। इसके अलावा, वर्ष 1996 में जारी हाईस्कूल (10+2) की अंकतालिका तथा अन्य विश्वविद्यालय दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि याचिकाकर्ता भोपाल सिंह पुत्र हिम्मत सिंह है। ड्राइविंग लाइसेंस तथा आवासीय प्रमाण पत्र से भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता भोपाल सिंह पुत्र हिम्मत सिंह है। स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच ने प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसे मामले की जांच के बाद आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत पुलिस कागजात के साथ संलग्न किया गया है। इससे पता चलता है कि याचिकाकर्ता भोपाल सिंह पुत्र हिम्मत सिंह है तथा उसका कोई उपनाम पप्पू सिंह पुत्र गट्टू सिंह नहीं है।

4. प्रत्यक्ष सामग्री की कमी के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता भोपाल सिंह पुत्र हिम्मत सिंह वही व्यक्ति है, जो कालू राम के बयान में पप्पू सिंह पुत्र गट्टू सिंह के रूप में आया है, इसके अलावा, उपरोक्त सामग्री यानी पुलिस हिरासत में सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया, याचिकाकर्ता को मुकदमे में आरोपी के रूप में नहीं रखा जा सकता है। (2021) 4 एससीसी 1 में रिपोर्ट किए गए तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 67 एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज किया गया बयान जांच शुरू होने से पहले पूर्ववर्ती चरण में एकत्र की गई जानकारी है और इस प्रकार यह इकबालिया बयान की प्रकृति का भी नहीं है। इसलिए, आरोपी के खिलाफ इकबालिया बयान के रूप में मुकदमे में इसके स्वीकार्य होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए, इस आधारभूत कारण से किसी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए इसे ध्यान में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा, भले ही यह तर्क के लिए स्वीकार कर लिया जाए कि धारा 67 एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राप्त बयान एक इकबालिया बयान के बराबर है, लेकिन इसे अभियुक्त के खिलाफ स्वीकार्य होने की अनुमति देना ऐसे अभियुक्त के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 को तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए।

5. राज्य के विद्वान वकील ने इस आधार पर प्रार्थना का विरोध किया कि आरोप तय करने के चरण में साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच स्वीकार्य नहीं है, यहां तक

कि संदेह भी अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए कहने के लिए पर्याप्त है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि पुलिस याचिकाकर्ता को झूठा फंसाए।

6. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपराध किए जाने का संदेह अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए कहने का आधार होगा, हालांकि, यह संदेह कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं है जिसका इस्तेमाल मुकदमे के दौरान किया जा सके, तो याचिकाकर्ता के निष्पक्ष आपराधिक अभियोजन के मौलिक अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।

7. इसके अलावा, याचिकाकर्ता की पहचान पप्पू सिंह से नहीं जुड़ी है, जिसका नाम सह-आरोपी कालू राम के बयान से सामने आया है, बल्कि आरोप-पत्र के साथ प्रस्तुत पुलिस रिकॉर्ड में विपरीत सामग्री है, जो दर्शाती है कि याचिकाकर्ता को कभी भी पप्पू सिंह के नाम से ही नहीं जाना जाता था। ट्रायल कोर्ट ने इस संबंध में सबूतों की कमी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसलिए, आक्षेपित आदेश अवैधता के साथ-साथ अनुचित भी है।

8. तदनुसार याचिकाकर्ता के खिलाफ आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और यह आपराधिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है।

(बीरेंद्र कुमार),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।